...ायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

...न0:– 11 /2021 तारीखरजू:– 19.1.21

उनवान:– बाबूलाल बनाम मोतीलाल वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

...ांक	फर्द अहकाम	
...1.21 ...1.21	प्रार्थी की और से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनकर अप्रार्थीगण का सर्वप्रथम जबाब प्रस्तुत कराया जाना उचित पाता हूँ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 24.02.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	273-80 19-1-21
24.2.21	प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थी नम्बर 3,4,7 की ओर से श्री हँसराम गुर्जर Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 2 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी नम्बर 1,5,6,8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। जबाब पेश करने दिनांक 6.4.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	हैमलता।
6.4.21	वकुलाय उप0। अप्रार्थी नं. 2 के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। जबाब पेश करने दि0 17.5.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10.8.21	पत्रावली लॉक डाउन के कारण [illegible] पेश हुई। वकुलाय उप0। जबाब पेश करने [illegible] 8-9-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:11:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जि

दिनांक	फर्द अहकाम
28/6/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका पत्रावली गताकुजार वास्ते आदेश दिनांक 25/7/24 को पेश हो।
25/7/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित पत्रावली गताकुजार वास्ते आदेश दिनांक 07/8/24 को पेश हो।
7/8/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित पत्रावली गताकुजार वास्ते आदेश दिनांक 13/8/24 को पेश हो।
13-8-24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में होना पाया गया। इसलिए प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के साथ शामिल हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:11:55 IST
Reason: SelfAttested

/2021
ालय उपखण्ड अधिकारी ए
/2021
बाबूलाल पुत्र रामजीलाल जाति
सुरेश चन्द पुत्र रामजीलाल ज
मोतीलाल पुत्र हरिया जाति ख
हेमलता देवी पत्नि रूपलाल ज
कमलेश पुत्र मोतीलाल
विजयलक्ष्मी पत्नि कमलेश
धीरज पुत्र कमलेश
नीरज पुत्र कमलेश
आरती पुत्री कमलेश
जातियान ब्राह्मण निवासीयान
तहसीलदार टोडाभीम जिला गं
उपस्थितिः– श्री म
श्री हं
सायल द्वारा प्रस्तुत प्र
म धवान की आराजी ख0न0
.22, 383/0.32, 384/0.17,
104, 392/0.15, कुल किता 1
हिस्सा 4/9, गैरसायल न0 1
र दर्ज रिकार्ड है, शेष गैरसाय
ा नही है। उक्त आराजीयात
पर सायलान व गैरसायलान स
यलान एवं गैरसायलान ने मौके
अपने हिस्से की आराजी
अपने हिस्से की आराजी मे फस
राजीयात मे शान्ति पूर्वक काश्त
यात मे नाजायज प्रवेश कर उ
ाजी से बेदखल करने पर हमेशा
बॉका दिनांक 17.01.202
भाल कर रहे थे तो गैरसायलान
यलान से कहा कि इस आराजी
ही है, तुम इस आराजी को आ
क भाईयो यह आराजी तो हमारे

सुरेश चन्द पुत्र रामजीलाल जाति खाती निवासी धवान तहसील [illegible] (सायलान)

बनाम

मोतीलाल पुत्र हरिया जाति खाती निवासी धवान तहसील टोडाभीम।
हेमलता देवी पत्नि रूपलाल जाति मीना निवासी धवान तहसील टोडाभीम।
कमलेश पुत्र मोतीलाल
विजयलक्ष्मी पत्नि कमलेश
धीरज पुत्र कमलेश
नीरज पुत्र कमलेश
आरती पुत्री कमलेश
जातियान ब्राह्मण निवासीयान धवान तहसील टोडाभीम।
तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:— श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट सायलान
श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट गैरसायलान न0 3,4,7

निर्णय

दिनांक 13.06.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है
...ाम धवान की आराजी ख0न0 356/0.02, 357/0.12, 358/0.14, [illegible], [illegible],
...22, 383/0.32, 384/0.17, 385/0.17, 386/0.42, 387/0.16, 388/0.16, [illegible],
...04, 392/0.15, कुल किता 15 कुल रकबा 3.27 है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 1/3, सायल
हिस्सा 4/9, गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/9, व गैरसायल न0 2 हिस्सा 1/9 का खातेदार
...र दर्ज रिकार्ड है, शेष गैरसायल न0 3 ता 7 का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी
...त नही है। उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा नही हुआ है। आराजीयात पर प्रत्येक हिस्
... पर सायलान व गैरसायलान संयुक्त रूप से काबिज है लेकिन पूर्वजो के समय से ही जमीन
...लान एव गैरसायलान ने मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है। मुताबिक बाहमी बटवारा
... अपने हिस्से की आराजी को फसल काश्त करते चले आ रहे है जिसमे सायलान
...पने हिस्से की आराजी मे फसल चना व तारामीरा काश्त की है। गैरसायलान अपने हिस्से
...जीयात मे शान्ति पूर्वक काश्त नही करने देते है और आये दिन सायलान के हिस्से मे आने
...ात मे नाजायज प्रवेश कर उसे हडपने की फिराक मे है। और सायलान को उनके हिस्से
...जी से बेदखल करने पर हमेशा तैयार व तत्पर रहते है।

बौका दिनांक 17.01.2021 को सायलान अपने हिस्से की आराजीयात पर खड़ी फसल
...भाल कर रहे थे तो गैरसायलान 2 ता 7 एकराय होकर सायलान की आराजीयात पर आये
...यलान से कहा कि इस आराजीयात को अब हम काश्त करेंगे, तुम्हारा इस आराजी मे कोई
...ही है, तुम इस आराजी को आज के बाद काश्त नही करोगे। [illegible] सायलान ने
... भाईयो यह आराजी तो हमारे हिस्से की आराजी है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:11:55 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

परेशानी होतो मुम विधिवत बटवारा करा लो। इतना सुनते ही गैरसायलान गुस्सा हो गये और नान से कहा कि अब हम इस आराजी का ना तो बटवारा करायेगे और नाही तुमको शांतिपूर्वक करने देगे, और बिना विधिवत बटवारा कराये ही दीगर लठैत व्यक्तियो को हस्तांन्तरित कर बेदखल करेगे, तुम्हारा इस आराजी से कोई हिस्सा नही है, गैरसायलान सायलान के हिस्से की जी को जबरदस्ती बेदखल करने पर आमदा है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को पाबन्द या जावे कि सायलान के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम धवान की आराजी ख0न0 356/0.02, /0.12, 358/0.14, 359/0.33, 379/0.30, 380/0.22, 383/0.32, 384/0.17, 385/0.17, /0.42, 387/0.16, 388/0.16, 390/0.55, 391/0.04, 392/0.15, कुल किता 15 कुल 3.27 है0 मे सायलान के हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, कब्जेकाश्त मे ग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे। ान को उनके हिस्से की आराजी से ना तो स्वंय बेदखल करे और नाही किसी अन्य से करावे। ई व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। यल न0 1,3,5,6 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय ाही की गई। गैरसायल न0 2,4,7 की ओर से श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश लेकिन इनको जबाब के लिए कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नही करने से क 09.02.2024 को जबाब बन्द किया गया।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो ोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 15 कुल रकवा है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 1/3, सायल न0 2 हिस्सा 4/9, गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/9, व यल न0 2 हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, शेष गैरसायल न0 3 ता 7 का आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा हुआ है। आराजीयात पर प्रत्येक इंच भू–भाग पर सायलान व गैरसायलान सयुक्त रूप से ज है लेकिन पूर्वजो के समय से ही जमीन का सायलान एवं गैरसायलान ने मौके पर बाहमी रा कर रखा है। मुताबिक बाहमी बटवारा सायलान अपने हिस्से की आराजी को फसल काश्त चले आ रहे है, गैरसायलान अपने हिस्से की आराजीयात मे शान्ति पूर्वक काश्त नही करने देते र आये दिन सायलान के हिस्से मे आयी आराजीयात मे नाजायज प्रवेश कर उसे हडपने की क मे है। और सायलान को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर हमेशा तैयार व रहते है। इसिलये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना े वर्णित आराजीयात मे सायलान के हिस्से मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायलान न0 3,4,7, ने अपनी बहस मे कथन किया कि सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र ढंत व झूठा पेश किया है। वर्णित आराजीयात पर सायलान का कब्जा नही है बल्कि कब्जा ा है। सायलान का यह कथन गलत है कि वर्णित आराजीयात का बाहमी बटवारा कर रखा है। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन [illegible] किया । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्[illegible]य [illegible]तीन बिन्दुओ तय किया जाना होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:11:55 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी [illegible] ग्राम धवान की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता सख्या 147 मे कुल कि[illegible]5 कुल रकवा 3.

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–गंगापुर सिटी

27 है0 मे सायलान व गैरसायल न0 1 व 2 मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खातेदार गैरसायल न0 1 व 2 अनुपस्थित न्यायालय रहे है। और गैरसायल न0 3,4,7, का जमाबन्दी अनुसार कोई संबध किसी प्रकार का नही है। अगर गैरसायल न0 3,4,7, का वर्णित आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का होता तो न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करते। इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

अतः ग्राम धवान की आराजी ख0न0 356/0.02, 357/0.12, 358/0.14, 359/0.33, /0.30, 380/0.22, 383/0.32, 384/0.17, 385/0.17, 386/0.42, 387/0.16, 388/0.16, /0.55, 391/0.04, 392/0.15, कुल किता 15 कुल रकवा 3.27 है0 मे गैरसायलान को ता फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सायलान के कब्जे काश्त मे ःमत मदाखतल नही करे, तथा उभयपक्ष रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:11:55 IST
Reason: SelfAttested